

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन  
निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

राजस्थान के 6-जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से  
लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक  
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के  
अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि -

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ , सी-26 वैशाली मार्ग - वैशाली नगर जयपुर 302012  
[जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से  
निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जयपुर

दिनांक : 23.05.2019

49  
(इकबाल खान)

निर्वाचन आफिसर  
(इकबाल खान)

6 -जयपुर ग्रामीण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  
(अतिरिक्त जिला कलकत्ता एवं अतिरिक्त  
(अतिरिक्त जिला मुजफ्फरपुर (प्रथम) जिला मुजफ्फरपुर  
(प्रथम) जयपुर)

**FORM 21C**

**(See rule 64)**

**(For use in General Election when seat is contested)**

Declaration of the result of Election under section 66 of  
the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the 6-Jaipur  
Rural Parliamentary Constituency in  
Rajasthan.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of  
the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of  
the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –


**COL. RAJYAVARDHAN RATHORE**

**C-26 VAISHALI MARG - VAISHALI NAGAR JAIPUR - 302012**

[sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY**] has been duly  
elected to fill the seat in that House from the above  
constituency.

Place : Jaipur

Date : 23-05-2019

  
(JOBAL KHAN)  
RETURNING OFFICER,  
6-JAIPUR RURAL  
PARLIAMENTARY CONSTITUENCY  
(ADDITIONAL DISTRICT COLLECTOR &  
ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (1<sup>ST</sup>)  
(JAIPUR))